स्थापना : 1976, पंजी. क्र.: 6923

मध्यप्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ

(उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से मान्यता प्राप्त)

संजय सूरीठिया
प्रान्ताध्यक्ष
मो.: 9755331811

राकेश वर्मा
कार्यकारी अध्यक्ष
मो.: 9407022228

नीरज श्रीवास्तव
प्रांतीय महासचिव
मो.: 8871583587

वरिष्ठ संरक्षक : श्री प्रवीण कुमार सिंह

संरक्षक : श्री दिनेश कुमार नायक

प्रांतीय महामंत्री
प्रेमशंकर मिश्रा-रीवा
वरिष्ठ उपप्रान्ताध्यक्ष
अखिलेश सिंह परिहार-सतना
आशीष श्रीवास्तव-जबलपुर
उपप्रान्ताध्यक्ष
के.के. वर्मा-जबलपुर
महेन्द्र सिंह जामलिया-भोपाल
सुरेन्द्र पाठक-सागर
मुकेश कुशवाह-शिवपुरी
ईश्वर पाटीदार-धार
कोषाध्यक्ष
रामपाल सिंह-सागर
उपकोषाध्यक्ष
राजेश शुक्ला-भोपाल
संयोजक आई.टी.सेल
प्रदीप दीक्षित-कटनी
सुशील प्रजापति-टीकमगढ़
प्रांतीय प्रवक्ता
विनय अवस्थी-बुरहानपुर
विनय विश्वकर्मा-जबलपुर
प्रांतीय सचिव
मुजफ्फर हुसैन-जबलपुर
अरूण भट्ट-अशोक नगर
राजेश दुबे-अनूपपुर
रामकिशन यादव-टीकमगढ़
प्रांतीय सह-सचिव
लक्ष्मीनारायण खातरकर-बैतूल
संदीप जैन-मंदसौर
नरेश मालवीय-भोपाल
आनंद गुप्ता-खण्डवा
कमलेश शर्मा-झाबुआ
राजू धीरे-होशंगाबाद
प्रांतीय संगठन सचिव
जयंत पेवले-देवास
डी.के.श्रीवास्तव-रायसेन
राजेश चौकसे-डिण्डौरी
सुनील चंद्रोले-मण्डला
नरेन्द्र सिंह चौहान-भोपाल
शाहिद खान-टीकमगढ़
इन्द्रपाल सिंह-मुरैना
प्रांतीय सांस्कृतिक सचिव
नितिन जैन-जबलपुर
रविन्द्र रावत-टीकमगढ़
प्रांतीय निर्वाचन अधिकारी
जे.के.अग्रवाल-प्रशा.अधिकारी
सुशील कुमार शर्मा-उप.प्रशा.अधि.
प्रांतीय महिला प्रतिनिधि
श्रीमती पूनम चतुर्वेदी-भोपाल
श्रीमती शालिनी अग्रवाल-जबलपुर
श्रीमती गौरी श्रीवास्तव-रायसेन
श्रीमती विमला त्रिपाठी-रीवा
श्रीमती पूजा परिहार-बुरहानपुर

क्र० 16/21 दिनांक 24/01/2021

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
जबलपुर (म0 प्र0)

विषयः—अधीनस्थ जिला स्थापनाओं पर पदस्थ उप—प्रशासनिक अधिकारीगण हेतु प्रत्येक जिले में उपयुक्त संख्या में शासकीय आवासगृह उपलब्ध कराये जाने संबंधी आदेश जारी किये जाने विषयक।

सम्माननीय महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित ज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापना पर लेखापाल संवर्ग से उप प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति होने पर नवीन जिले में पदस्थापना की जाती है परंतु प्रत्येक जिले में उप—प्रशासनिक अधिकारीगण के लिए कोई शासकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में नवीन जिलों में पदस्थ होने पर उप प्रशासनिक अधिकारीगण के समक्ष नये जिले में निवास की व्यवस्था एक जटिल समस्या है तथा वे आवास किराये के रूप में एक बहुत बड़ी राशि व्यय करने हेतु मजबूर है।

महोदय, प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान (छटवें वेतनमान में 8000—13500) है जबकि उप प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान (छटवें वेतनमान में 5500—9000) है। प्रत्येक जिले में प्रशासनिक अधिकारी के लिए पृथक से सुविधायुक्त शासकीय आवासगृह चिह्नित होकर उपलब्ध रहते है परंतु उप—प्रशासनिक अधिकारीगण के लिए किसी भी जिले में कोई भी शासकीय आवासगृह उपलब्ध नही रहते है जबकि दोनो पद प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस प्रकार उप प्रशासनिक अधिकारी अल्प वेतनभोगी होकर नवीन जिले में पृथक से निजि मकान किराये पर लेकर किराया वहन करना अत्यन्त पीडादायक स्थिति का सामना कर रहा है।

अतः माननीय महोदय, से विनम्र निवेदन है कि कृपया तत्संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिला स्थापना पर उप—प्रशासनिक अधिकारीगण के निवास हेतु शासकीय आवासगृह उपयुक्त संख्या में उपलब्ध करवाये जाने बाबत् उचित निर्देश प्रसारित करने की अनुकंपा करेंगे ।

संघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

[नीरज श्रीवास्तव]
प्रांतीय महासचिव
मध्यप्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ

कार्यकारिणी सदस्य—ओमनरेश बघेल-सिवनी, राजबहादुर नेताम-अनूपपुर, विरेन्द्र श्रीवास्तव-भोपाल, राजेन्द्र दुबे-सिहोर, मनमोहन पाण्डेय-मैहर, हेमराज अहिरवार-सागर, अशोक यादव-मंडलेश्वर, गोविन्द सेन-टीकमगढ़, दिनेश अहिरवार, नवीन तिवारी
विशेष सलाहकार—प्यारे सिंह गौतम-बालाघाट, अजीत अग्रवाल-जबलपुर, एस.के.चंसोरिया-टीकमगढ़, रघुनंदन पाठक-रीवा
विशिष्ट सलाहकार मंडल—आर.सी.गुप्ता-प्रशा.अधिकारी, महेन्द्र शर्मा-झाजापुर, पंकज खरे-टीकमगढ़, आर.एस. परमार,सतीश चन्द्र द्विवेदी